न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर

पीठासीन अधिकारी सचिन यादव आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 23/21 उनवान

1 सीताराम पुत्र रेखा जाति धाकड नि0 कोटापट्टी कस्वा वैर तह0 वैर।

2 प्रेमचन्द पुत्र रेखा जाति धाकड नि0 कोटापट्टी कस्वा वैर तह0 वैर।

3 विजयसिंह पुत्र रमेशचन्द नवीरा रेखा जाति धाकड नि0 कोटापट्टी कस्वा वैर तह0 वैर।

प्रार्थीगण

वनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार वैर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थित 1. श्री पूरनचन्द धाकड–प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार वैर

निर्णय दिनांक –06.08.24

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2082 रकबा 1–07 बीघा वाके विचपुरीपट्टी कस्वा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित था जिसके सालिम भाग का प्रार्थीगण का पिता/बाबा रेखा पुत्र बुद्धा कौम धाकर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे तथा उक्त आराजी कोटापट्टी कस्वा वैर की आवादी से सटी हुई है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 2082 रकबा 1–07 बीघा वाके विचपुरी पट्टी कस्वा वैर तहसील वैर की आराजी कोटापट्टी कस्वा वैर की आवादी से सटी होने के कारण प्रार्थीगण ने अपने पिता/बाबा रेखा के जीवनकाल में ही उक्त आराजी में से 08 विस्वा भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ मकान, गैतवाडा आदि के उपयोग में लेना शुरू कर दिया जिसकेकारण उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकवे में से 08 विस्वा भूमि का नामान्तरण संख्या 349 विचपुरी पट्टी कस्वा वैर तहसील वैर से सिवायचक नगरपालिका दर्ज हो गई इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2057–61 में उक्त खसरा नम्वर 2082 रकवा 1–07 बीघा में से प्रार्थीगण के पिता/बाबा रेखा के नाम उक्त खसरा नम्वर की 19 विस्वा भूमि तथा शेष रकवा 08 विस्वा भूमि निवास स्थान एवं बस्तियां व उसकी किस्म गैरमुमकिन आवादी दर्ज हो गई। मुताविक रिकार्ड ही उक्त आराजी का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता/बाबा के मरणोपरान्त उक्त आराजी खसरा नम्बर 2082/1 रकवा 19 विस्वा था का विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के हक में दर्ज हो गया तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज रिकार्ड है और प्रार्थीगण ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काविज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा आराजी खसरा नम्वर